एकल पीठ

उच्च न्यायालय न्यायपीठ, बिलासपुर (छ.ग.)

दाण्डिक अपील क्रमांक 63/2006

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील का ज्ञापन)

अपीलार्थी(कारावास में):

नटवर देवांगन, आत्मज नरहर देवांगन, आयु लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम - केरेगांव, थाना- अर्जुनी, जिला- धमतरी (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी:

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी, धमतरी (छ.ग.)।

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील का ज्ञापन।</u>

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायपीठ: बिलासपुर

समक्ष: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 63/2006

अपीलार्थी : नटवर देवांगन

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति:

- अपीलार्थी की ओर से श्री पी.सी. पंत एवं श्री नितेश पंत, विद्वान अधिवक्तागण।
- राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(दिनांक 10 मार्च, 2006 को सुनाया गया)

1. यह अपील श्री आर.पी. शर्मा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 140/2005 में पारित निर्णय दिनांक 10-01-2006 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, और अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 23-10-2004 को, अभियोक्त्री, जो एक विवाहित महिला है, रात्रि लगभग 9.30 बजे अपने घर की बाड़ी के पीछे शौच हेतु गई थी। अपीलार्थी वहाँ आया, उसे जमीन पर धकेला, उसके कपड़े उठाए और उसके ऊपर चढ़कर बलात्संग कारित किया। अभियोक्त्री चिल्लाई। केजाऊ (अ.सा. 2) और अमृत बाई (अ.सा. 5) घटनास्थल पर पहुँचे और अपीलार्थी तथा अभियोक्त्री को आपत्तिजनक स्थिति में देखा।

केजाऊ (अ.सा. 2) ने अपीलार्थी को थप्पड़ मारा। एक बैठक अगले दिन आयोजित की गई। चूँकि बैठक में प्रकरण का समाधान नहीं हो सका, अभियोक्त्री द्वारा थाना अर्जुनी में दिनांक 31-10-2004 को, अर्थात 8 दिनों की अवधि के पश्चात प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 दर्ज कराई गई। उसकी चिकित्सकीय परीक्षा डॉ. आभा रानी सिंह (अ.सा. 12) द्वारा की गई, जिन्हें न तो उसके शरीर पर और न ही उसके जननांगों पर हिंसा का कोई निशान मिला। अभियोक्त्री ने चलने के दौरान या अन्यथा किसी दर्द की शिकायत भी नहीं की। यह अभिमत दिया गया कि अभियोक्त्री संभोग की अभ्यस्त थी। डॉ. आर.एस. ठाकुर (अ.सा. 15) ने दिनांक 01-11-2004 को अपीलार्थी का परीक्षण किया और अभिमत दिया कि वह संभोग करने में समर्थ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोक्त्री की योनि स्लाइड, प्रदर्श पी/6 के माध्यम से जब्त अपीलार्थी की अंतःवस्त्र और प्रदर्श पी/3 के माध्यम से जब्त अभियोक्त्री का पेटीकोट रासायनिक विश्लेषण हेतु न्यायालयिक

प्रयोगशाला भेजे गए, जिसने दिनांक 30-04-2005 की प्रतिवेदन के माध्यम से उपरोक्त सभी वस्तुओं पर वीर्य और मानव शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि की। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया। अपीलार्थी ने दोष से इनकार किया, मिथ्या फँसाये जाने का अभिवाक किया और प्रतिवाद में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोक्त्री, केजाऊ (अ.सा. 2) और अमृत बाई (अ.सा. 5) के साक्ष्य तथा प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी को पूर्वोक्त कंडिका 1 के अनुसार दोषसिद्ध और दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी. पंत ने प्रारंभ में ही यह निवेदन किया कि वे विचारण न्यायालय के उस निष्कर्ष को चुनौती नहीं देते हैं जहाँ तक वह इस तथ्य के प्रमाण से संबंधित है कि अपीलार्थी ने 23-10-2004 की रात्रि को अभियोक्त्री के साथ संभोग

किया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वे विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि और दण्डादेश को केवल इस आधार पर चुनौती देते हैं कि किया गया संभोग अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री के साथ पूरी तरह से उसकी सहमति से किया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 दर्ज कराने में हुए अत्यधिक विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न होना और अभियोक्त्री के शरीर पर चोटों का अभाव, अपीलार्थी द्वारा यौन कृत्य में अभियोक्त्री की सहमति के सूचक थे। विद्वान अधिवक्ता ने अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य की कंडिका 6 और 8 का उल्लेख किया जो पूर्णतः यौन कृत्य में अभियोक्त्री की सहमति का संकेत देते थे। इन तर्कों पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त दोषसिद्धि और दण्डादेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय की कंडिका 12 का उल्लेख किया और तर्क दिया

कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण पाया है। उन्होंने केजाऊ (अ.सा. 2) और अमृत बाई (अ.सा. 5) के परिसाक्ष्य का और उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया कि ये साक्षी अभियोक्त्री की चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुँचे थे, जिससे स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा किए गए संभोग में अभियोक्त्री की सहमति का अभाव था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 140/2005 के अभिलेख का अवलोकन किया है और परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है। अभियोक्त्री ने कथन किया है कि रात्रि लगभग 9.30 बजे उसके माता-पिता और सभी रिश्तेदारों ने शराब का सेवन किया था और वे सो रहे थे। उसने कथन किया कि वह शौच हेतु बाहर आई और अपने घर की बाड़ी की ओर गई। अपीलार्थी, जो वहाँ उपस्थित था, ने उसके हाथ पकड़े और उसकी साड़ी, साया एवं अंतःवस्त्र उतारने के पश्चात, अपनी फुल-पेंट एवं अंतःवस्त्र उतारी और उसके बाद उसे जमीन पर

लेटा दिया। इसके पश्चात, अपीलार्थी ने यौन कृत्य कारित किया। रात्रि 9.00 बजे अभियोक्त्री के घर की बाड़ी में अपीलार्थी की उपस्थिति पूर्व-नियोजित भेंट का भी सुझाव देती है।प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में, उसने स्वीकार किया कि घर बाड़ी के इतने समीप हैं कि चीखें सुनने पर कोई भी एक मिनट के भीतर वहाँ पहुँच जाएगा। अपने परिसाक्ष्य में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ लगभग 10 मिनट तक संभोग किया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अभियोक्त्री अपीलार्थी द्वारा उसे पकड़े जाने के तुरंत बाद या जब अपीलार्थी ने उसके कपड़े उतारे या स्वयं के कपड़े उतारते समय चिल्लाई होती, तो साक्षी तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए होते। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने उसके बाद अभियोक्त्री के साथ 10 मिनट की अवधि तक संभोग किया, इस अनिवार्य निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि अभियोक्त्री संभोग के दौरान नहीं चिल्लाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोक्त्री एक विवाहित महिला थी और लगभग 35 वर्ष की आयु की थी। अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि अपीलार्थी ने संभोग के दौरान या उससे पहले उस पर ऐसे बल का प्रयोग किया था कि वह विरोध करने या शोर मचाने की स्थिति में नहीं थी। अभियोक्त्री ने अपने परिसाक्ष्य की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि यौन हमले के दौरान न तो उसकी चूड़ियाँ टूटीं और न ही उसकी पीठ पर कोई चोट आई। एक वयस्क विवाहित महिला होने के नाते अभियोक्त्री विरोध करती यदि संभोग उसकी सहमति के बिना होता और लगभग 10 मिनट की अवधि तक संभोग के दौरान ऐसा विरोध किए जाने पर, यह स्वाभाविक था कि कम से कम उसकी चूड़ियाँ टूट जातीं या उसकी पीठ पर कुछ चोटें आतीं क्योंकि अपीलार्थी ने उस पर बलात्संग कारित करने से पहले उसके सभी कपड़े उतार दिए थे। डॉ. आभा रानी सिंह (अ.सा. 12) का साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें अभियोक्त्री के शरीर या उसके जननांगों पर न तो कोई चोट, सूजन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या लालिमा मिली और न ही अभियोक्त्री ने चलने के दौरान या अन्यथा किसी प्रकार के दर्द की शिकायत की।

8. केजाऊ (अ.सा. 2) और उसकी पत्नी अमृत बाई (अ.सा. 5) वे साक्षी हैं जिन्होंने घटना के समय बाड़ी के अंदर अपीलार्थी और अभियोक्त्री को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इन साक्षियों ने कथन किया है कि केजाऊ ने अपीलार्थी को थप्पड़ मारा। अमृत बाई (अ.सा. 5) ने भी उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि की है और कथन किया है कि उसी समय पड़ोसी अवध और शांति बाई भी घटनास्थल पर आए और अनुरोध किया कि बैठक में समझौता किया जाना चाहिए। यदि साक्षी केजाऊ (अ.सा. 2) और अमृत बाई (अ.सा. 5) ने अपीलार्थी को अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसके साथ जबरन संभोग करते देखा होता, तो इन व्यक्तियों का स्वाभाविक आचरण यह होता कि वे अपीलार्थी को पकड़ लेते और या तो पुलिस को सूचित करते या घटना की प्रतिवेदन दर्ज कराते। तथापि, ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन काफी विलम्ब के पश्चात अर्थात दिनांक 31-10-2004 को दर्ज कराई गई थी। उसके परिसाक्ष्य की कंडिका 6 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 8-9 दिनों के अंतराल के बाद यह प्रतिवेदन उसकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि ग्रामीणों द्वारा दबाव डाले जाने पर दर्ज कराई गई थी। अभियोक्त्री द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि घटना के तुरंत बाद वह दूसरे गाँव चली गई थी। अभियोक्त्री द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन का अवलोकन प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में हुए लंबे विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, अपितु केवल यह दर्शाता है कि गरीबी के कारण वह शीघ्र प्रतिवेदन दर्ज नहीं करा सकी। यह कारण विश्वास जगाने में विफल रहता है और संतोषजनक होने से बहुत दूर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर उसकी समग्रता में विचार करने के पश्चात, मेरा यह सुविचारित मत है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोक्त्री एक सत्यवादी साक्षी नहीं

है और उसका परिसाक्ष्य विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री पर किया गया यौन हमला उसकी सहमति से था। अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्डादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

11. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अधीन अधिरोपित दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (1) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए। अर्थदण्ड की राशि, यदि संदत्त की गई हो, वापस की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

= = = =0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणःहिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur